

(4)
(257)

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No- 15/उ०/बायो० अनु०- 4/17

/Agri., Patna, Dated _____, 2017

Received from M/s Gama Organomed Plus (P) Ltd, a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number Ch- 141 dated 13-02-2017 deposited in State Bank of India Baily Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

MOI ACKNOWLEDGEMENT NO- 118

Date.....

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Gama Organomed Plus (P) Ltd Style- Wholesale Dealer	Bihar Colony, Agam Kuan, Choti pahadi, Patna-7	Bihar Colony, Agam Kuan, Choti pahadi, Patna-7	1-Liquid Consortia 2-PROM	Self Manufactured

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Gajendra Vikram Singh

M/s Gama Organomed Plus (P) Ltd

S/o Sri R.B. Singh

R/o F-20 Southcity,

Lucknow (UP)

Sd/-

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

/agri., Patna, dated 14/12/2017

Memo no..... 1115

copy forwarded to all joint directors of agriculture & district agriculture officers for kind information and necessary action.

W. Singh
6/12/17

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या- 15/उ0/बायो0 अनु0 - 4/17 1116 /कृ0, पटना, दिनांक 14/12/ 2017
प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0 प्र0 से0,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 गामा आर्गेनोमेड प्लस प्रा0 लि0,
बिहार कॉलोनी, अगम कुआँ,
छोटी पहाड़ी, पटना-7

विषय : जैव उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 118 दिनांक 14/12/2017 वैधता तिथि 13/12/2020 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/--

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

14/12/2017

ज्ञापांक : 1116

दिनांक :

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।